पुनर्विलोकन प्रकरण क्रमांक 2382-T/2006

माननीय राजस्व मंडल म.प्र. ग्वालियर के न्यायालय में

राजाराम पिता कनीराम,
व्यवसाय – कृषि, आयु – 70 वर्ष,
निवासी – ग्राम धारसीखेडा, तहसील बदनावर, जिला धार .....*प्रार्थी*

विरूद्ध

(1) **रतनबाई बैवा गोवर्धनदास (बैरागी)**
निवासी – ग्राम धारसीखेडा,
तहसील बदनावर, जिला धार

(2) **प्रेमदास पिता गोवर्धनदास,**

(3) **हरिओमदास पिता गोवर्धनदास,**
निवासी – ग्राम धारसीखेडा,
तहसील बदनावर, जिला धार

(4) **हिटलर पिता रूगनाथ राजपूत,**
निवासी ग्राम धरसीखेडी (गढी), तहसील बदनावर, जिला धार

(5) **म.प्र. शासन द्वारा कलेक्टर,**
जिला धार (म.प्र.)

(6) **तहसीलदार महोदय,**
तहसील – बदनावर, जिला धार (म.प्र.)

(7) **मांगीलाल पिता नाथुराम धाकड**
निवासी – ग्राम धारसीखेडा,
तहसील बदनावर, जिला धार .....*प्रतिप्रार्थीगणगण*

पुनर्विलोकन आवेदन पत्र धारा 51 म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959

श्रीमान् प्रशासकीय सदस्य महोदय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर (म.प्र.) के द्वारा निगरानी प्रकरण क्रमांक 1425–II/2005 में दिनांक 20/10/06 को पारित आदेश से असंतुष्ट होकर यह पुनर्विलोकन आवेदन इस माननीय न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित आधारों पर प्रस्तुत हैं ।

अग्रिम पेज.....2

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक रिव्यु 2382–एक/06 **जिला धार**

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
10–12–2015	आवेदकपक्ष के अधिवक्ता के रिव्यु प्रकरण की ग्राह्यता पर प्रस्तुत लिखित तर्को पर विचार किया गया। यह रिव्यु प्रकरण इस न्यायालय के प्रकरण कमांक निगरानी 1425–दो/2005 में पारित आदेश दिनांक 20–10–2006 के विरूद्ध म0प्र0भू–राजस्व संहिता, 1959 की धारा 51 के तहत प्रस्तुत किया गया है । 2– आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा रिव्यु आवेदन की ग्राह्यता के बिन्दु पर प्रस्तुत लिखित तर्को पर विचार किया गया एवं प्रकरण का तथा आलोच्य आदेश का अवलोकन किया गया। निम्नलिखित तीन आधार विद्यमान होने पर ही रिव्यु आवेदन स्वीकार किया जा सकता है :– 1/ नई एवं महत्वपूर्ण बात/साक्ष्य का पता चलना जो उस समय जब आदेश पारित किया गया था, सम्यक् तत्परता के पश्चात् भी नहीं मिल पाई थी । 2/ अभिलेख से प्रकट कोई भूल/गलती । 3/ कोई अन्य पर्याप्त कारण । आवेदक ने रिव्यु का जो आवेदन व लिखित तर्क प्रस्तुत किये हैं उसके परीक्षण से उक्तांकित आधारों में से कोई आधार विद्यमान होना नहीं पाया जाता है इसलिये इस रिव्यु आवेदन में कोई बल नहीं होने से यह रिव्यु प्रकरण अग्राह्य किया जाता है । उभयपक्ष सूचित हों । (मनोज गोयल) अध्यक्ष	